

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:ई/चि.अ./आर-3074/2024/ **दिनांक :**

-आदेश:-

डॉ० राहुल बारवाड, चिकित्सा अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूपर्वत सिरौही का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

1. दिनांक 23.08.2023 से 26.08.2023 एवं 11.09.2023 कुल 05 दिवस अवैतनिक अवकाश।
2. दिनांक 27.08.2023 से 10.09.2023 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश।

चिकित्सक का अवैतनिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश संख्या R.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 एवं पितृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम 103-A के अनुसरण में जारी किया जाता है।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:ई/चि.अ./आर-3074/2024/198

दिनांक : 21/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को उनके पत्रांक 1518 दिनांक 18.04.2024 के क्रम में।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूपर्वत सिरौही।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी राजपत्रित, मुख्यालय।
4. डॉ० राहुल बारवाड, चिकित्सा अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूपर्वत सिरौही।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
6. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7269737



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.05.17 16:03:23 IST
Reason: Approved